

मध्यप्रदेश विधान सभा



जून-जुलाई, 2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2004 (श्रावण 8, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य, पांडुर्णा के शंकर नगर में डकैतों द्वारा हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्रीमती संध्या राय, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम बरेथा में अग्निपीड़ितों को आर्थिक सहायता नहीं दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(3) श्री गिरीश गौतम, श्री नारोन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य, रीवा शहर में अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम छपरा स्थित गीतांजलि मार्बल खदान धंसने से पांच श्रमिकों की हुई मौत की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(5) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, सतना शहर के पुष्पराज कालोनी में डकैती की घटित घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, पत्ता जिले के ग्राम ककरा में नवनिर्मित पानी की टंकी फूट जाने से पांच लोगों की मौत होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम पटना में कालरा का प्रकोप होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य, इंदौर स्थित एम.जी.एम. पैरामेडिकल कालेज के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को फीस छूट का स्पष्ट आदेश न मिलने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य, सतना जिले के ग्राम बढ़ौरा में एक लड़की के साथ हुए बलात्कार के अपराधी को गिरफ्तार न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री बृजमोहन दास धूत, सदस्य, देवास जिले के ग्राम रिछी में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) सर्वश्री रामलखन शर्मा, हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सुभाष यादव, सदस्य, इंदिरा सागर परियोजना के डूब प्रभावितों को मुआवजा वितरण में अनियमितता होने से उत्पन्न स्थिति की ओर नर्मदा धाटी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री नारायण त्रिपाठी, श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य, रीवा जिले में पल्स पोलियो अभियान में घटिया वैक्सीन दिये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य, मेडिकल कॉसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदेश के मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) सर्वश्री सत्यदेव कटारे, आरिफ अकील, रामनिवास रावत, सदस्य, भोपाल के थाना रातीबड़ के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिला जेल से चार कैदी फरार होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सर्वश्री जगन्नाथ सिंह, रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा एवं सतना जिले में स्थापित सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने की ओर राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्री प्रियब्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले की बरगुलिया सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावितों के मुआवजा वितरण में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में फाइलेरिया नामक रोग के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य, सतना जिले के टमस बराज में अवैध रूप से मछली मारने की ओर मछलीपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) श्री रामलखन शर्मा, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य, भिण्ड एवं मुरैना जिले में हैजा एवं आंत्रशोथ की बीमारी फैलने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(21) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री अजय सिंह "राहुल भैया", श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल के अररा कालोनी क्षेत्र से एक परिवार का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) श्री आरिफ अकील, सदस्य, रायसेन जिले के सीहोरा निवासी एक बालक की विद्युत कर्मियों की लापरवाही से दोनों हाथ कट जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के भारौलीकला में रेत की अवैध नीलामी होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य, प्रदेश में समर्थन मूल्य से कम दर पर चने की खरीदी होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) श्री सुभाष यादव, सदस्य, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा फार्मेसी कालेज खोले जाने की अनुमति न दिये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(26) डॉ. सुनीलम्, सदस्य, देवास स्थित हिंद मिटेक्स लिमिटेड को अवैध रूप से बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(27) श्री उमेद सिंह बना, सदस्य, मुरैना जिले के माधोपुरा निवासी व्यक्ति की हत्या के अपराधी न पकड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(28) सर्वश्री अजय सिंह "राहुल भैया", सुभाष यादव, नारायण त्रिपाठी, सदस्य, प्रदेश के अनेक तकनीकी महाविद्यालयों को बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(29) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, ग्वालियर में पुलिस चौकी पर अपराधियों द्वारा हमला किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(30) डॉ. सुनीलम्, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, भोपाल के जे.पी. अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही से एक महिला की हुई मौत की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(31) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के सेमरिया में एक महिला की लाश पाई जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(32) श्री प्रेमचंद गुड्डू, सदस्य, इंदौर पुलिस द्वारा फर्जी रजिस्ट्री गिरोह पकड़े जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(33) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, शहडोल जिले के अमलाई स्थित जूट मिल से क्लोरीन गैस का रिसाव होने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(34) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, नेत्रहीन महाविद्यालयों के कर्मचारियों को कई माह से वेतन नहीं मिलने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(35) श्री विजय बहादुर सिंह बुंदेला, श्री मनमोहन शाह बट्टी, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम बारह की एक बालिका के साथ बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(36) श्री आरिफ अकील, सदस्य, दमोह हटा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में समय पर इलाज न होने से एक महिला की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(37) श्री सत्यदेव कटारे, श्री राजेश पटेल, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, दमोह जिले के रेतवारी ग्राम के एक युवक के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(38) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, बैतूल जिले के भैसदेही क्षेत्र में घटिया सोयाबीन का बीज प्रदाय किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(39) श्री अन्तर सिंह दरबार, सदस्य, पिछड़ा वर्ग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल के प्राचार्य द्वारा छात्रावास में निवासरत छात्रों से पानी बिजली के नाम पर वसूली किये जाने की ओर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(40) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य, डबरा स्थित शुगर मिल के कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि उनके खातों में जमा न कराई जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(41) सर्वश्री राजेश पटेल, सुखदेव पासे, गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र स्थित ल्यूपिन लेबोरेटरीज लिमिटेड में ड्रायर फटने से एक श्रमिक की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(42) श्री मारात्मक खवसे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के पांडुर्णा क्षेत्र की गुटका फैक्ट्रियों में बाल श्रमिकों का शोषण होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(43) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य, छतरपुर के थाना महाराजपुर के सेयलाहार से दो व्यक्तियों का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(44) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम गोहटा निवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(45) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम पंचायत फूलहरचंद सिंह में मध्याह्न भोजन हेतु चावल वितरण में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(46) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल के गैस प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध न कराये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(47) श्री विजय बहादुर सिंह बुंदेला, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम गौरिहार में एक दंपत्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(48) श्री हरवंश सिंह, सदस्य, इंदिरा सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में वन सम्पत्तियों के नष्ट होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(49) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, भोपाल के टी.टी. नगर स्थित माडल प्रायमरी स्कूल के अनेक छात्र पूरक परीक्षा देने से वंचित होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(50) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, दतिया खनिज अधिकारी द्वारा रेत खदान आवंटन में अनियमितताएं किये जाने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(51) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य, सीधी जिले के जियावन थाना अंतर्गत ग्राम गोड़गवा निवासी एक युवक के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(52) श्री शांतिलाल धबाई, सदस्य, भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास विभाग द्वारा स्मार्ट कार्ड बनाये जाने में अनियमितता किये जाने की ओर भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(53) सर्वश्री नारायण त्रिपाठी, बृजेन्द्र तिवारी, गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, गवालियर जिले की डबरा शुगर मिल द्वारा कृषकों को गन्ने का भुगतान नहीं किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(54) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम लोही में बाणसागर परियोजना की नहर धसकने से एक श्रमिक की दबकर मौत होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(55) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पत्ता जिले के ग्राम सिसवारा में उल्टी दस्त से एक महिला की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(56) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम हरदी में एक आदिवासी छात्रा के साथ बलात्कार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(57) पं. रमेश दुबे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले की चौरई तहसील में अवर्धा के कारण फसल नष्ट होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(58) श्री बृजमोहन दास धूत, सदस्य, इन्दौर के नौलखा एवं हरदा बस स्टैण्ड पर एजेन्टों द्वारा यात्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के परासिया नगर में सिविल न्यायालय प्रारम्भ कराये जाने,

(2) श्री शांतिलाल धबाई, सदस्य, उज्जैन जिले के -

(क) शासकीय महाविद्यालय बड़नगर में स्नातकोत्तर एवं विज्ञान संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ कराये जाने तथा लेब एवं लायब्रेरी की सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने,

(ख) ग्राम नरसिंगा एवं दौलतपुर के मध्य चम्बल नदी पर स्टाप-डेम-कम पुलिया बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम लाम्बा, खेड़ावदा, चरोला व पलटूना स्थित माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन कराये जाने,

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्र.8, 11 एवं 15 में गैस राहत विभाग द्वारा निर्मित टंकियों से पेयजल सप्लाई कराये जाने,

(4) श्री बहादुर सिंह, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम इंदोख व बड़ोद के मध्य नदी पर पुल बनाये जाने,

(5) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले में सीता रेखा नदी पर बने पुल के दोनों तरफ एप्रोच रोड पर पीचिंग कराये जाने,

(6) श्री जुगुल किशोर, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम झिंगोदर की अनुसूचित जाति बस्ती के पास मुड़गुड़ा नाले पर स्टापडेम-कम-काजवे बनाये जाने,

(ख) ग्राम धौरहरा से रौढ़ तक सड़क बनाये जाने,

(ग) ग्राम पंचायत दतुनहा स्थित प्राथमिक शाला के भवन की मरम्मत कराये जाने,

(घ) ग्राम अमकुई से जसो तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क बनाये जाने,

(ङ) ग्राम पंचायत दतुनहा के पहुंच मार्ग को डब्ल्यू.बी.एम. सड़क बनाये जाने,

(च) ग्राम उमरिहा एवं रामपुर के मध्य मुड़गुड़ा नाले पर स्टापडेम-कम-काजवे बनाये जाने,

(छ) ग्राम पंचायत नैना से मनकहरी रोड तक आने एवं सगमा गांव तक जाने हेतु पहुंच मार्ग बनाये जाने, तथा

(ज) ग्राम रैगांव में पुलिस थाना खोले जाने,

(7) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम बड़ोरा-छहरी माईनर नहर का जीर्णोद्धार कराये जाने,

(8) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम हिनौती के बरगाही टोला में विद्युत तारों का सुदृढ़ीकरण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम हिनौती स्थित हाई स्कूल का भवन बनाये जाने, तथा

(9) श्री रामलाल रोतेल, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम भोलगढ़ के लिये पक्की सड़क बनाये जाने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

**निर्धारित
समय**

4. अशासकीय संकल्प

1 घण्टा

(1) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"पर्यावरण की भयावह स्थिति से वन में रहने वाले पशु व पक्षियों की नस्लें समाप्त हो रही हैं, अतएव सदन का यह मत है कि शासन वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण हेतु कारगर कदम उठावे एवं पंचायत तथा नगरीय निकायों को वृक्ष लगाने हेतु प्रोत्साहन दे".

30 मि.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के नगरीय निकायों को शासन द्वारा दी जाने वाली समस्त क्षतिपूर्ति/अनुदान राशियां जो संचालनालय को दी जाती हैं वह राशि समस्त नगरीय निकायों के बैंक खातों में सीधे जमा कराई जावे".

1 घण्टा

(3) सर्वश्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, रसाल सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर मशरूम एवं आयुर्वेदिक औषधियों की खेती हेतु प्रोत्साहन के साथ-साथ प्रशिक्षण तत्संबंधी बीज एवं अनुदान शासन द्वारा दिया जावे".

5. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 28 जून, 2004 को वन मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्रमांक 904) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 16 जुलाई, 2004 को गृह मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 1576) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री गिरीश गौतम, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 29 जुलाई, 2004

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.